


दिनांक	आज्ञा पत्र
21-12-17	<p>वकूलायै फरीकैन उपस्थित । अपीलान्ट के पत्र पेशा कर निवेदन किया कि वह रेस्पोजेन्ट सं०-1 के वारिसान के विरुद्ध कोई सहायता प्राप्त नहीं करना चाहते है । अतः रेस्पोजेन्ट सं०-1 का नाम अपील से हटाया जावे । प्रार्थना पत्र की नकल दी गई ।</p> <p>राजकीय अभिभाषक उपस्थित । बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई । प्रार्थना पत्र नाम हजफ का बाद अवलोकन स्वीकार किया जाकर रेस्पोजेन्ट सं०-1 का नाम अपील से हजफ किया जाता है ।</p>
22-12-17	<p>प्रकरण में उभयपक्षों को अपील पर सुना गया वकील अपीलान्ट के कथनों से प्रथम दृष्टया सन्तुष्ट होते हुये न्यायहित में पक्षकारों में ओर अधिक मुकदमें बाजी न बढे इस कारण हम न्यायहित में उभयपक्षों को दावा के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी के मौका की यथास्थिति बनाये रखें । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल इफतर हो । निर्णय सुनाया गया ।</p> <p style="text-align: right;">  श्री प्रदीप कुमार शर्मा भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर </p>

